

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग

देहरादून दिनांक : अप्रैल, 2024

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-09/दो-लेखा/बजट-4048/2024-25 दिनांक 03.04.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204 के मानक मद 05-युवा कल्याण परिषद को अनुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रु० 7602 हजार (रुपये छियत्तर लाख दो हजार)** मात्र की धनराशि **संलग्नक 'क'** के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय [हस्तपुस्तिका](#) के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

4- उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

5- व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-युवा कल्याण परिषद को अनुदान-00 के नाम संलग्नक-'क' के विवरणानुसार डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या- /VI-4 / 2024-51(01)2020 टी0सी0

अनुदान संख्या-11

लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-00

001-निदेशन तथा प्रशासन

05-युवा कल्याण परिषद को अनुदान-00

(धनराशि हजार में)

क्र०सं०	मद कोड/मानक मद	अवमुक्त धनराशि का विवरण
1	02-मजदूरी	1300
2	04-यात्रा व्यय	100
3	05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	1500
4	07-मानदेय	500
5	08-पारिश्रमिक	1
6	09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1
7	10-प्रशिक्षण	300
8	11-अनुमन्यता संबंधी व्यय	20
9	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	80
10	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	110
11	22-कार्यालय व्यय	100
12	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	100
13	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	150
14	26-कंप्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर व अनुरक्षण	120
15	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50
16	29-गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	2200
17	30-आतिथ्य व्यय	70
18	40-मशीन उपकरण, सज्जा और संयंत्र	100
19	42-अन्य विभागीय व्यय	100
20	51-अनुरक्षण	200
21	52-लघु निर्माण	500
	योग	7602

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव